सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **214/2018** दायर दिनाँक **25.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जब्बरसिंह पुत्र फूलसिंह, उम्र—54साल, 2. मालसिंह पुत्र फूलसिंह, जाति—राजपूत, समस्त,जाति—जैवलियाबास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री प्रितमसिंह, वकील, वादीगण।

—::संशोधित निर्णय ::—

दिनाँक **12.07.2018**

वकील वादीगण के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद जैवलियाबास में खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 20.13 बीघा व खसरा नम्बर 18 रकबा 04.04 बीघा व खसरा नम्बर 41 रकबा 08.02 बीघा व खसरा नम्बर 45 रकबा 02.00 बीघा भूमि अवस्थित है, जो कि, वादीगण व अन्य खातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद जैवलियाबास में खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 20.13 बीघा में सिरेकँवर द्वारा वसीयत दिनाँक 22.06.1991 के द्वारा प्राप्त भूमि सम्पूर्ण वादी जब्बरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जावे एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 04.04 बीघा व खसरा नम्बर 41 रकबा 08.02 बीघा व खसरा नम्बर 45 रकबा 02.00 बीघा में जरिये वसीयत दिनाँक 22.06.1991 के अनुसार दोनों वादीगण का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नाम बराबर–बराबर सिरेकँवर के स्थान पर अंकित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में सिरेकँवर का ना हटवाया जावे।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड में सिरेकँवर का नाम हटाया जावे तथा खसरा नम्बर 15 व 16 में वादी जब्बरसिंह का नाम अंकित किया जावे तथा खसरा नम्बर 18, 41 व 45 में दानों वादीगण का नाम बराबर–बराबर घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम जेवलियाबास सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 67/66, 68/67, 18/14 व 19/15 की छायाप्रति, सिरेकँवर की मृत्यु दिनाँक 23.11.2006 की छायाप्रति, मालसिंह के आधारकार्ड की छायाप्रति, जब्बरसिंह के आधारकार्ड की छायाप्रति, वसीयतनामा की छायाप्रति, पेश है।

वादीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य वादी में गवाह वादी जब्बरसिंह व गवाह कानसिंह के शपथ पत्र पेश किये। सरपंच ग्राम पंचायत बरांगना के प्रमाण पत्र अनुसार सिरे कंवर पत्नी बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी जेवलियाबास ने मालसिंह पुत्र फुलसिंह व जब्बरसिंह पुत्र फुलसिंह के नाम जो वसियत की है। वो सही है। इनके खसरा नम्बर 15, 16, 18, 41 व 45 पर जब्बरसिंह एवं मालसिंह काबिज है। सिरे कंवर ने वसीयत में कोई बदलाव नहीं किया है। मैं इन्हे भली भांति जानता हूं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वादीगण का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। खातेदार सिरेकँवर द्वारा वसीयत के आधार पर वादीगण डिक्री चाहते हैं। सिरेकँवर फौत हो चुकी है, जिसके वारिशान् वादीगण हैं व दावानुतोषानुसार वादीगण खातेदारी चाहते हैं।

उक्त वसीयत दिनाँक 22.06.1991 का पंजीकृत दस्तावेज है। जिसे किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है। अतः वसीयत के आरधार पर वादीगण के नाम घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 214/2018
दायर दिनाँक 25.06.2018, निर्णय दिनाँक 12.07.2018
जब्बरसिंह बनाम् तहसीलदार, वगैरा।

अतः, बाद, विवचेन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **जेवलियाबास** में खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 20.13 बीघा में से सिरेकँवर के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि वादी जब्बरसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा खसरा नम्बर 18 रकबा 04.04 बीघा व खसरा नम्बर 41 रकबा 08.02 बीघा व खसरा नम्बर 45 रकबा 02.00 बीघा भूमि में से सिरेकँवर के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि वादीगण जब्बरसिंह व मालसिंह के नाम संयुक्त रूप से घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **12.07.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 214/2018 दायर दिनाँक 25.06.2018

वादीगण		प्रतिवादी
1. जब्बरसिंह पुत्र फूलसिंह, उम्र–54साल, 2. मालसिंह पुत्र फूलसिंह, जाति–राजपूत, समस्त,जाति–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **12.07.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित श्री प्रितमसिंह, वकील, वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **जेवलियाबास** में खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 20.13 बीघा में से सिरेकँवर के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि वादी जब्बरसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा खसरा नम्बर 18 रकबा 04.04 बीघा व खसरा नम्बर 41 रकबा 08.02 बीघा व खसरा नम्बर 45 रकबा 02.00 बीघा भूमि में से सिरेकँवर के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि वादीगण जब्बरसिंह व मालसिंह के नाम संयुक्त रूप से घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.................. .–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.07.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–214–2018/रीडर/2018/ 682 दिनाँक 16/7/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः – संशोधित निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. जब्बरसिंह पुत्र फूलसिंह, उम्र–54साल, 2. मालसिंह पुत्र फूलसिंह, जाति–राजपूत, समस्त,जाति–जैवलियाबास , तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित संशोधित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

(जन्नीसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner